



राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी—श्री. गौरव कुमार मित्तल, आर.ए.एस.

वाद संख्या— 45/2025

सरकार

बनाम

ललित वगैरह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0भू-राजस्व अधिनियम 1956

—:निर्णय:—

दिनांक— 17.07.2025

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ललित पुत्र भागीरथ उर्फ भागूड़ा व रामलाल पुत्र भागीरथ उर्फ भागूड़ा जाति कुम्हार द्वारा ग्राम रूपनगढ़ के पुराने ख0न0 कमश: 599/6 व 599/5 में तरमीम शुद्धि बाबत प्रार्थना पत्र पेश करने पर तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा भू0अ0/2025/3808 दिनांक 08.07.2025 द्वारा ग्राम रूपनगढ़ की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2073-2076 जमाबन्दी संवत् 2075 (वर्ष)से स्थायी के खाता संख्या 1668 ख0न0 4411/2728 रकबा 0.008 है0 किस्म वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि ललित पुत्र भागीरथ उर्फ भागूड़ा हिस्सा पूर्ण जाति कुम्हार सा0देह खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि में से प्रार्थी मुकेश भाम्मू द्वारा भूखण्ड संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 2 द्वारा भूखण्ड संख्या 2 व 3 का क्रय किया जाना बताया है। वाद वर्णित ख0न0 4411/2728 (पुराने ख0न0 599/6) नामान्तरकरण संख्या 5631 दिनांक 22.09.2017 सहनति बंटवारे के द्वारा पुराने ख0न0 599/6 रकबा 00-03-04 ललित पुत्र भागीरथ उर्फ भागूड़ा जाति कुम्हार सा0देह खातेदार दर्ज हुआ जो सहवन से सेग्रीगेशन तरमीम नक्शे तैयार करते समय पुराने ख0न0 599/5 की जगह तरमीम में अंकित हो गया जो बाद में संपरिवर्तन आदेश का दिनांक 29.12.2017 का अमल संपरिवर्तन के नामान्तरण संख्या 6934 दिनांक 15.09.2022 से करते समय विभिन्न टूकड़ों में विभक्त हो गया। तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपने पत्र में नक्शे दुरुस्ती के आदेश प्रदान करने हेतु अनुशंषा जाहिर की। सेग्रीगेशन से पूर्व उक्त खातेदारान के खसरा नम्बर सही होने संबंधी नक्शे की नकल एवं तहसीलदार रूपनगढ़ की अनुशंषा के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर ^{उक्त नक्शा अनुसार} ग्राम रूपनगढ़ के ख0न0 4323/2727 के स्थान पर ख0न0 4411/2728 व ख0न0 4411/2728 के स्थान पर ख0न0 4323/2727 एवं ख0न0 4324/2727 के स्थान पर ख0न0 4412/2728 व ख0न0 4412/2728 के स्थान पर ख0न0 4324/2727 परिवर्तन कर राजस्व नक्शों में तरमीम शुद्धि करने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।



उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)